शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (277-283), Month: Sep. 2018

महिला उद्यमिता एवं आर्थिक विकास

डॉ0 धनंजय शरण
एसोसिऐट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

यद्यपि पुरूष को शक्तिशाली मानने वाले उसके **''तन बल''** को महत्व देते हैं जबकि महिला में **''तन बल''** की अपेक्षा **''मन बल''** शक्तिशाली होता है जो पुरुष के समान शक्ति प्रदर्शन नहीं करती बल्कि षक्ति को अपने अन्दर समेट उसका सदुपयोग करती है। मानव पूँजी की पोषिका, परिवार की पालनहार शक्ति स्वरूपा महिला आज चारदीवारी से बाहर निकल रोज नवीन क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। पारिवारिक, सामाजिक, तथा शैक्षिक क्षेत्र के साथ ही महिलायें आर्थिक क्षेत्रों में भी कामयाब हो रही हैं। दुनिया भर में घर और बच्चों की देखभाल करते हुये महिलायें साल भर में कुल 10 हजार अरब डॉलर के बराबर ऐसा काम करती हैं जिसका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता जिसका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। यह दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल कम्पनीं के सालाना कारोबार का 43 गुना है। ऑक्फैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में महिलायें घर और बच्चों की देखभाल जैसे बिना वेतन वाले जो काम करती हैं, उसका मूल्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) के 3.1 प्रतिशत के बराबर है। महिलायें स्वतः कौशल सम्पन्न होती हैं वह अपने स्तर पर घर से भी अपने कौशलों का उपयोग करके धनोपार्जन कर परिवार चला सकती हैं अपने आस–पास की महिलाओं को संगठित कर नये रोजगार का सृजन कर सकती हैं।

पिछले 50 वर्षों में कार्यस्थल पर महिलाओं की भूमिंका में आश्चर्यजनक बदलाव आया है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों से उद्यमिता के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। पहले कुछ ही महिलायें थीं जो अपने व्यवसाय का स्वामित्व और संचालन करती थीं। आज यह संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

महिला उद्यमिता से अभिप्राय

सामान्यता उद्यमिता नये संगठन आरम्भ करनें की भावना को कहते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्षन करके मुख्यतः कोई व्यवसायिक संगठन प्रारम्भ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है जिसमें एक तरफ भरपूर लाभ कमानें की संभावना होती है तो दूसरी तरफ जोखिम,

अनिश्चितता एवं अन्य खतरे सम्भावित होते हैं।

महिला उद्यमिता को एक महिला या महिलाओं के समूह स्वरूप परिभाषित किया जा सकता है जो एक व्यापारिक संस्था का प्रारम्भ, आयोजन और संचालन करती हैं।

फ्रेडरिक हारबिसन– ''कोई भी महिला या महिलाओं का समूह जो एक आर्थिक गतिविधि का नवाचार, पहल या गोद लेना है उसे महिला उद्यमिता कहा जा सकता है।''

महिला उद्यमिता को इस प्रकार समझा जा सकता है–

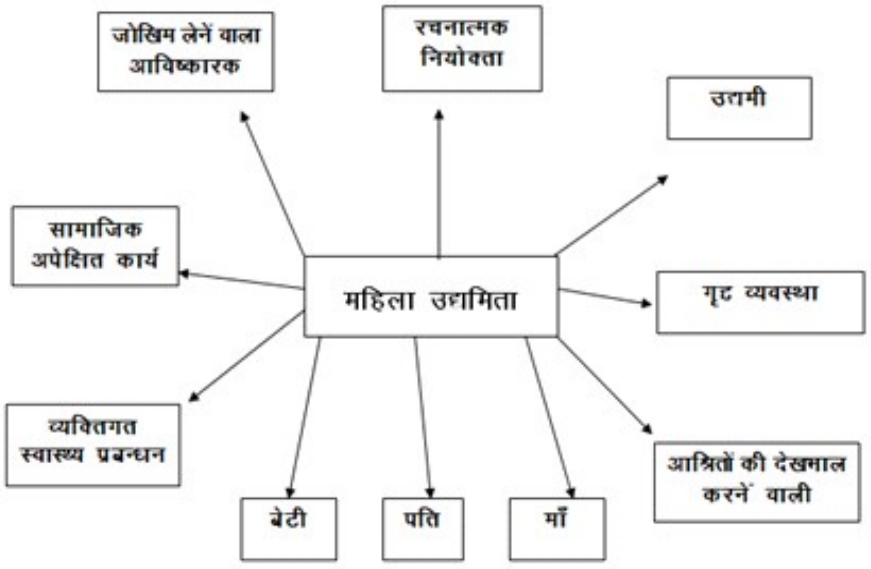

आधुनिक भारतीय समाज में महिला उद्यमियों के तौर पर व्यावसायिक मौजूदगी ने देश की व्यावसायिकता और आर्थिक विकास के स्वरूप को ही बदल दिया है। आर्थिक उदारीकरण और वैष्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत की महिला उद्यमिता में सराहनींय बृद्धि हो रही है। संस्थानात्मक ढाँचे के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा और प्रषिक्षण प्रदान किये जानें से महिला उद्यमिता का क्षेत्र विस्तारित हुआ है।

महिला उद्यमिता की सामान्य विशेषतायें– भारत में पायी जाने वाली महिला उद्यमिता की कुछ सामान्य विशेषतायें यथावत् सूचीबद्ध हैं

1. छोटी आय वाली अधिकांश महिलाओं के उद्यमीं बनने की सम्भावना होती है।
2. छोटी सुविधाओं वाली महिलाओं के उद्यमीं बनने की संभावना होती है।
3. अधिकांश महिला उद्यमीं विवाहित हैं और अपने पति से सहयोग प्राप्त कर उन्होंने उद्यमिता को स्वीकार किया है।

4. अधिकांश महिला उद्यमियों को अपना उद्यम प्रारम्भ करनें के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करनें में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

5. कम या बिना शिक्षा और प्रषिक्षण वाली बड़ी संख्या में महिलायें व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं।

6. कई महिलायें आर्थिक आवश्यकता के कारण उद्यमीं बन जाती हैं।

7. महिलाओं की ईमानदारी और कड़ी मेहनत, स्थिरता और विकास का प्रमुख कारण हैं।

8. महिला उद्यमीं विकासोन्मुख होने के बजाय सुरक्षा उन्मुख हैं।

9. ज्यादातर महिला उद्यमीं आय का स्थिरीकरण और जोखिम को कम करना पसन्द करती हैं।

10. महिलाओं के व्यावसायिक उद्यमों में कार्यशील पूँजी की कमीं पायी जाती है परिणामस्वरूप कम लाभ अर्जित होता है।

सामान्यता आर्थिक रूप से स्वतंत्र होनें, अपना उद्यम स्थापित करनें, समाज में अपनी पहचान स्थापित करनें, अपने प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करनें, खुद में आत्मविश्वास पैदा करनें, जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करनें, समाज में समान स्थिति का दावा करनें तथा अधिक स्वतन्त्रता और गतिशीलता को सुरक्षित करनें के लिये महिलायें उद्यमिता का दृष्टिकोण अपनाती हैं जिन्हें महिला उद्यमिता की प्रेरक आवश्यकतायें कहा जा सकता है।

महिला उद्यमिता की समस्यायें– 21वीं शताब्दी में महिलाओं ने न सिर्फ धनार्जन में अपनी भूमिंका अंकित कराई है बल्कि भावी संगठनों का निर्माण करते हुये अभिकर्ताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन किया है।

उद्यमिता का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद भारत में महिला उद्यमिता को बहुत लम्बा सफर तय करना है। जिन्हें अपनी उद्यमिता की राह में अनेक उच्चावचन देखने को मिलते हैं यथा

1. वित्त को किसी उद्यम का **''जीवन रक्त''** माना जाता है महिला उद्यमीं को दो मामलों में वित्त की कमी पीड़ित करती है।

प्रथम– महिला उद्यमीं के पास आमतौर पर उनके नाम सम्पत्ति नहीं होती है धन के बाहरी स्त्रोतों तक पहुँच सीमित होती है।

द्वितीय– बैंक इस बात पर भी विचार करते हैं कि महिला उद्यमीं कम ऋण योग्य होती हैं। यह बात उन्हें हतोत्साहित करती है।

2. अधिकांश महिला उद्यमीं कच्चे माल और आवश्यक इनपुट के अभाव से त्रस्त हैं।

3. महिला उद्यमियों के पास कैनवसिंग व विज्ञापन हेतु बहुत सारे पैसों में संगठन सेटअप पंप नहीं हैं; जिस कारण उन्हें संगठित क्षेत्र व उनके पुरुष समकक्षों के साथ अपने उत्पादों के विपणन के लिड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

4. महिला उद्यमीं के प्रति अधिकारी के अपमानजनक रवैये के साथ एक उद्यम प्रारम्भ

करनें में शामिल प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें उन्हें उद्यम शुरू करनें के विचार को त्यागने को विवश करती हैं।

5. व्यापार में महिलाओं के प्रवेष हेतु पतियों का समर्थन व अनुमोदन आवष्यक षर्त लगता है।

6. गुणात्मक शिक्षा का अभाव महिला उद्यमिता में कम उपलब्धि प्रेरणा का कारण बनता है।

7. पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है यही बदले में व्यापार में महिला उद्यमियों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है।

8. भारत में महिलायें संरक्षित जीवन जीती हैं जो महिला उद्यमीं की उद्योग में जोखिम उठानें की क्षमता को कम करता है।

9. इसके अतिरिक्त अपर्याप्त ढांचागत् सुविधायें, बिजली की कमीं, उत्पादन की उच्च लागत, सामाजिक दृष्टिकोण तथा बिचौलियों पर अधिक निर्भरता आदि बाधायें भी महिला उद्यमिता की उन्नति को प्रभावित करते हैं।

साधारणतया भारत में महिला उद्यमिता को बेहतर बनाने के लिये कुछ उपाय यथावत् दिये जा सकते हैं।

1. सरकारी और गैर सरकारी योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों में जागरूकता उत्पन्न करनें के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिये आवष्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

2. महिला उद्यमियों को उद्यमिता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये सहायक तत्वों के रूप में विभिन्न रियायतों, सब्सिडी और प्रोत्साहन की पेशकश की जानी चाहिये।

3. कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं व औपचारिकताओं को अत्यन्त सरल और लचीला बनाया जाना चाहिये जो महिलाओं को उद्यमिता की गतिविधियों के लिये प्रेरित करता है। महिला उद्यमियों को वित्त प्रदान करनें के लिये आवेदन पत्र, मूल्यांकन मानक और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें सरल होना चाहिये।

4. सरकार व उसकी एजेन्सियों द्वारा पर्यावरण को अधिक अनुकूल व विनम्र बनानें के लिये महिला उद्यमियों का सहयोग करना चाहिये।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी बैंकों द्वारा रियायती या कम ब्याज दर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये महिला उद्यमियों को ऋण व अग्रिम उपलब्ध कराया जाना चाहिये; महिला उद्यमियों को स्वयं सहायता समूह या सहकारी समितियां बनाने की सलाह दी जानी चाहिये।

6. अनुभवहीन महिलाओं के लिये; उन्हें उद्यमीं ज्ञान व कौशल विकसित करनें के लिये विषेश प्रकार के प्रषिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करनीं चाहिये, इसके अतिरिक्त प्रत्येक महिला उद्यमीं को उद्यम प्रारम्भ करनें के लिये पहले पूर्व ज्ञान व कौशल प्रदान करनें की आवश्यकता है।

7. महिला उद्यमियों को सूचना, परामर्श या मार्गदर्शन और ऋण सम्बन्धी जानकारी

प्रदान करनें के लिये जिला उद्योग केन्द्र (डी0आई0सी0) के निदेशालय में महिला सेल की स्थापना की जानी चाहिये तथा इन महिला कोशिकाओं को अधिमानतः महिला अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिये।

8. सिंगल विंडो एप्रोच की स्थापना जिला उद्योग केन्द्र के तहत् एक अलग सेल के रूप में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देनें के लिये की जानीं चाहिये जो महिला उद्यमियों को प्रोद्योगिकी तैयारी, स्थल–शेड आबंटन, टर्मलोन मंजूरी, कार्यशील पूँजी ऋण प्रबन्ध, प्रशिक्षण, कच्चे माल का आवंटन व विपणन सहायता सुनिश्चित करे।

9. महिला उद्यमिता संघ का गठन किया जा सकता है जिससे महिला उद्यमियों को समूह बनानें, विभिन्न संस्थानों से मद्द लेने और आपसी जरूरतों के आदान–प्रदान में मदद् मिलेगी।

10. महिला उद्यमिता के प्रोत्साहन हेतु सहकारी समितियों का गठन कर सामूहिक रूप से कार्य करनें को बढ़ावा देना चाहिये जिसमें उत्पादों का विपणन भी शामिंल है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में उद्यमों का प्रबन्धन कर महिला उद्यमीं आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करती हैं।

महिला उद्यमिता विकास हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास

भारत सरकार नें प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0जी0ई0पी0), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ई0एस0पी0) और स्टार्टअप इण्डिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त संसाधनों में निवेश किया है। कई राज्य सरकारें, सी0एस0आर0 संस्थाएं तथा नागरिक समाज संगठन भी इस क्षेत्र में पहल कर रहे हैं; फिर भी महिला उद्यमियों की भागीदारी न्यून बनी हुई है।

नवीनतम् उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योगों में से केवल 14 प्रतिशत लगभग 8.05 मिलियन उद्यम ही महिलाओं के स्वामित्व में हैं। 2017 में मास्टर कार्ड इंडेक्स द्वारा अपने स्थानीय परिवेश द्वारा प्रदान किये गये अवसरों को भुनाने में महिला उद्यमिता की क्षमता के मामले में भारत 57 देशों में से 52 वें स्थान पर है।

उद्यमिता परिस्थितियों के समर्थन में भारत का 47वां स्थान है। महिला उद्यमियों को उष्मायन, प्रशिक्षण, विपणन व परामर्श आदि सेवाएं प्रदान करनें के लिये नीति आयोग द्वारा एक **''महिला उद्यमिता मंच''** (WEP- Women Entrepreneurship Platform); इच्छाशक्ति, ज्ञान शक्ति, और कर्मशक्ति के आधार पर बनाया गया है। इस पहल में **''सिडबी''** (Small Industriess Development Bank of India- SIDBI) ने नीति आयोग से भागीदारी की है। महिला उद्यमियों को मुफ्त ऋण पात्रता मूल्यांकन, वित्त पोषण सहयोग, प्रशिक्षण व निकाय साझेदारी जैसी सेवाओं के अतिरिक्त उद्यमिता की यात्रा, कहानियां और अनुभव साझा करना इसका प्रमुख कार्य है। केन्द्र सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को गति एवं दिशा देने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करनें के साथ ही महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनमें प्रमुख– अन्नपूर्णा योजना, देना शक्ति स्कीम, उद्योगिनी

स्कीम, सेंट कल्याणी स्कीम, महिला उद्यम निधि स्कीम, मुद्रा योजना, ओरियंट महिला विकास योजना, सिंडिकेट बैंक महिला शक्ति योजना, सोलर चरखा योजना तथा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 मार्च, 2016 से महिला उद्यमियों की जरूरतों को देखते हुये एक अद्वितीय और प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करनें हेतु **''महिलाओं ई हाट''** प्रारम्भ किया गया है। 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिला उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा या व्यापार के क्षेत्र में ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रूपये तक की ऋण सुविधा के लिये **''स्टैंड–अप इंडिया''** योजना प्रारम्भ की गयी है। नीति आयोग द्वारा नवोदित और मौजूदा उद्यमियों को उनके नवाचार अभियानों में समर्थन देने की दिषा में 27 मार्च, 2018 से **''अटल इनोवेशन मिशन''** कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हैण्डलूम, परम्परागत कलाओं जैसे– कसीदाकारी, यात्रा एवं पर्यटन, मेजबानी, कम्प्यूटर तथा आई0टी0 सेवाओं में दक्षता प्रदान करनें हेतु **दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** तथा **नीति आयोग** मौजूदा जरूरतों के मद्देनजर मसौदा तैयार किया है महिला उद्यमीं इससे लाभान्वित हो रही हैं।[7] भारत में वंचित महिला समूहों को ऋण प्रदान करनें के लिये **''व्यापार सम्बन्धी उद्यमिता सहायता और विकास''** (ट्रीड) कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है जो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिंकों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों खास तौर से महिला उद्यमियों को सामाजिक– आर्थिक लाभ हेतु कार्य उन्मुख, स्थान विशिष्ट परियोजनाओं के लिये अवसर प्रदान करनें के लिये **''निष्पक्ष सशक्तीकरण और विकास के लिये विज्ञान''** (सीड) योजना प्रारम्भ की गयी है।

8 अप्रैल 2015 से प्रधानमंत्री द्वारा छोटे व्यवसाय जैसे– ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग इकाई व ट्यूशन सेंटर चलाने के लिये षिषु, किशोर व तरूण स्तर पर महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत स्तर पर सहायता प्रदान करनें के लिये बिना जमानत राशि ऋण उपलब्ध करनें हेतु **''मुद्रा योजना''** प्रारम्भ की गयी है। आज सरकारी प्रयासों के माध्यम से महिला उद्यमीं डिजिटल और तकनीकी सफलताओं के साथ एक नये भारत के लिये जीवन्त विचार ला रही हैं। भारत की कई महिला उद्यमियों ने पूरे विश्व में अपनीं विचारधारा और उत्पाद से देश का नाम रोशन किया है। जिनमें कीरो ब्यूटी की सी0ई0ओ0 वसुंधरा पाटनीं, कोटक महिन्द्रा की पूर्व एम0डी0 फाल्गुनीं नायर, वी0एल0सी0सी0 की वन्दना लूथरा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानिंत लाइमरोड सोसियल शॉपिंग बेवसाइट की सूची मुखर्जी, ऑनलाइन वीमेन क्लोथ स्टोर ज़ीवामी की फाउण्डर रिचाकर, कलारी केपिटल की वानीकोला, हैलो इंग्लिश की प्रांशू पट्नीं, मोबीक्विक कम्पनी की उपासना टाकू, शिरोज कम्पनी की शैरी चाहल, इन्दिरा नूई, इन्दू जैन, किरण मजूमदार–शा, चन्दा कोचर, नीलम धवन व रितू कुमार आदि प्रमुख हैं।

निष्कर्ष

रूप में कहा जा सकता है महिला उद्यमिता, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। भारत में 1.3 से 1.5 करोड़ उद्यम महिला उद्यमियों के हाथ में हैं अगर उद्यमिता के लिये महिलायें आगे आयें तो देश में 15 से 17 करोड़ रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं जो 2030 तक नये रोज़गार की तलाश करनें वाली आबादी के मुकाबले 25 फीसदी अधिक होंगे। देष की अग्रणी परोपकारी संस्था एडेलगिव फाउंडेशन के अध्ययन के मुताबिक अगले पाँच वर्शों में महिला उद्यमियों की संख्या 90 प्रतिषत तक बढ़ने का अनुमान है जबकि अमेरीका और ब्रिटेन में यह क्रमशः 50 प्रतिशत और 24 प्रतिशत ही है।

देश के पास भयमुक्त और प्रतिभावान महिला उद्यमियों का अपना एक पूल है वे अज्ञात प्रदश्षों में बेहिचक और भयमुक्त हो आगे कदम बढ़ा रही हैं वाणिज्य व निवेश ट्रैवल, फैशन, रिटेल, फिटनेस, हायरिंग की बात हो या सूर्य के नीचे कोई भी और सभी क्षेत्रों में वे अपनें आस–पास की दुनिया को बदलने में पूरे उत्साह से कार्य कर रही हैं व समाधान खोज रही हैं। महामारी के दौरान भी महिला उद्यमिता ने सामाजिक भलाई व विकास हेतु तकनीकि शक्ति का उपयोग किया है चाहे व कुछ भी हो; इन्होंनें नये भारत के लिये एक जीवन्त विचार प्रस्तुत किया है राश्ट्र की यह महिला उद्यमिता ऊर्जा निष्चित ही हमें विकास के अगले स्तर तक ले जा सकती है।

सन्दर्भ सूची–

1. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक; वर्ष 2018, पृ0 43
2. Essay on Women Entrepreneurship
3. स्त्री शक्तिः महिला उद्यमिता की षक्ति पहिचान, ज्योत्सना सूरी; 20 जनवरी 2015
4. के0उर्मिला, भारत में महिला उद्यमियों की समस्याऐं,
5. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, 23 जनंवरी 2018;पृ0 संख्या–61-62
6. रोजगार समाचार Vol.49, 3से 9 Mar. 2018 पृ0 2-3
7. देसाई; उद्यमशीलता और विकास प्रबन्ध की गतिशीलता
8. बायोरीकर; उद्यमिता विकास एवं परियोजना प्रबन्ध
9.एस० धालीवाल; ''मौन योगदानकर्ता, एशियाई महिला उद्यमीं और व्यवसाय में महिलायें''
10. एम० मिनित और नोड; यूरोपीय जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च